[2022] 16 एस. सी. आर 967

राजेश यादव और ए. एन. आर

वी.

यू. पी. राज्य

(आपराधिक अपील सं। 339-340 2014)

फरवरी 04,2022

[संजय किशन कौल और एम. एम. सुंदरेश, जे.]

दंड संहिता 1860: एसएस। 302 , 307 - दो लोगों को किया गया था

अभियुक्त द्वारा गोली चलाने से मृत्यु-समूहों के बीच पिछला विवाद-मौके पर मौजूद दो चश्मदीद-गवाह-सभी अभियुक्तों से की गई बरामदगी-निचली अदालत ने सभी अभियुक्तों को दोषी ठहराया और सभी अभियुक्तों को सजा सुनाई-उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि उन पर आरोप लगाए गए अपराध के लिए उन्हें बरी कर दिया। s.307, के साथ

दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि यू/एस। 25 शस्त्र अधिनियम की अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः पीडब्लू-1 और 2 ने खुद के चश्मदीद गवाह होने के बीच विरोधाभास नहीं किया है-केवल इसलिए कि वे संबंधित गवाह हैं, यह मानने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि वे हैं

इच्छुक, उनकी गवाही को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है-प्राथमिकी दर्ज करने में कोई देरी नहीं-की विश्वसनीयता पर कुछ भी नहीं कहा जाता है

पीडब्लू-1 और 2 के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जिरह में शत्रुतापूर्ण रुख अपनाने वाले गवाह-उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा आरोप यू/एस के लिए दी गई दोषसिद्धि को सही ढंग से खारिज कर दिया। 307 - केवल इसलिए कि घायल गवाह को पेश नहीं किया गया था, का पूरा मामला

अभियोजन पक्ष झूठा नहीं होगा-जिन परिस्थितियों के तहत सामग्री एकत्र की गई थी, जिसमें विशेषज्ञ को भेजी गई बरामदगी के साथ-साथ कारतुस भी शामिल हैं, उन्हें आधिकारिक गवाहों द्वारा समझाया गया है, जिसमें अप्राकृतिक उल्लेख किया गया है। गवाही-बरामद हथियारों को विशेषज्ञ को भेजने या एफ. एस. एल. रिपोर्ट प्राप्त करने में कोई देरी नहीं पाई गई-सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद जांच अधिकारी को पेश नहीं किया जा सका-यह कि स्वयं अभियोजन पक्ष के पूरे मामले को बुरा नहीं बनाएगा, विशेष रूप से जब अंतिम रिपोर्ट को खुद को सबूत का एक ठोस टुकड़ा नहीं कहा जा सकता है, जो कि जांच अधिकारी की सामूहिक राय के अलावा कुछ भी नहीं है-निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सबूतों पर विचार किया-अपराध को फंसाने और साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री।

अपीलार्थियों के विरुद्ध-कुछ के अस्तित्व के लिए गैर-स्पष्टीकरण

घटना स्थल से बरामद अन्य खाली कारतुस अपीलार्थियों के लिए बरी होने की सुविधा प्रदान नहीं करेंगे-इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को बरकरार रखा गया-शस्त्र अधिनियम-धारा 25।

साक्ष्य अधिनियम, 1972:

एस. 3- " साक्ष्य "-समझाया गया।

"साक्ष्य" की प्रशंसा-स्पष्टीकरण-आयोजितः साक्ष्य की सराहना करते समय, साक्ष्य को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है।

श्रेणियां, पूरी तरह से विश्वसनीय, पूरी तरह से अविश्वसनीय और न तो पूरी तरह से विश्वसनीय और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय-यदि साक्ष्य, इसके आसपास के मामलों के साथ, अदालत को यह विश्वास दिलाता है कि यह पूरी तरह से विश्वसनीय है, तो यह संभावना की एक डिग्री पर अपने अस्तित्व का फैसला कर सकता है-जब प्रस्तुत साक्ष्य न तो पूरी तरह से विश्वसनीय है और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय है, तो इसे पुष्टि की आवश्यकता हो सकती है, और ऐसे मामले में, अदालत अन्य मामलों में उपलब्ध विरोधाभासों पर भी ध्यान दे सकती है।

एस. 33 – कुछ साक्ष्यों की प्रासंगिकता-आयोजितः धारा 33 सामान्य नियम का एक अपवाद है जो पर्याप्त सुविधा को अनिवार्य करता है।

एक गवाह की प्रतिपरीक्षा के लिए-एक ऐसे मामले में जहां एक गवाह ने मुख्य परीक्षा के पूरा होने के बाद और उसे एक ठोस और कठोर प्रतिपरीक्षा के अधीन करते हुए, उद्देश्य से गवाह बॉक्स में जाने का विकल्प नहीं चुना, यह अदालत का काम है कि वह उक्त साक्ष्य का उचित उपयोग करे-जिन मुद्दों पर साक्ष्य पूरा किया जाता है, उन्हें अदालत द्वारा इस तरह से माना जा सकता है और फिर आगे बढ़ाया जा सकता है-जिन मुद्दों के लिए प्रतिपरीक्षा समाप्त नहीं हुई है, वे पूरी परीक्षा को अस्वीकार्य बना देंगे।

गवाह की गैर-जांच-अभियोजन पक्ष के मामले पर प्रभावः केवल गवाह की गैर-जाँच अभियोजन पक्ष के मामले को दूषित नहीं करेगी-यह गुणवत्ता पर निर्भर करता है न कि गवाहों की मात्रा और इसके महत्व पर-यदि अदालत अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के साथ-साथ मुकदमे को आगे बढ़ाने और आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सामग्री से संतुष्ट है, तो कोई पूर्वाग्रह नहीं हो सकता है -

उस पक्ष की ओर से है जो आरोप लगाता है कि गवाह को इसे साबित करने के लिए जानबूझकर पेश नहीं किया गया है।

शत्रुतापूर्ण गवाह, मौका गवाह, संबंधित और इच्छुक गवाह-समझाया गया।

राजेश यादव और ए. एन. आर. बनाम उत्तर प्रदेश का राज्य

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एस। 173 - अंतिम रिपोर्ट-आयोजित का गोपनीय मूल्यः धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट है -

सबूत के एक टुकड़े के अलावा और कुछ नहीं-यह केवल जांच अधिकारी की उसके द्वारा एकत्र की गई सामग्री पर राय बनाता है-यह अपरिहार्य नहीं है-अन्य भौतिक गवाहों की पुष्टि और विरोधाभास के लिए जांच अधिकारी के सबूत की आवश्यकता होती है-यह मानते हुए भी कि जांच अधिकारी ने अदालत के समक्ष गवाही नहीं दी है या पर्याप्त सहयोग नहीं किया है, एक आरोपी केवल उसी आधार पर बरी होने का हकदार नहीं है।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः साक्ष्य की सराहना करते हुए, साक्ष्य को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात् (i) पूरी तरह से विश्वसनीय, (ii) पूरी तरह से अविश्वसनीय और (iii) न तो पूरी तरह से विश्वसनीय और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय। यदि साक्ष्य, उसके आसपास के मामलों के साथ, अदालत को विश्वास दिलाता है कि यह पूरी तरह से विश्वसनीय है क्योंकि यह एक मुद्दा है, तो यह संभावना की डिग्री पर अपने अस्तित्व का फैसला कर सकता है। ऐसा ही मामला है जहाँ सबूत विश्वसनीय नहीं हैं। जब प्रस्तुत साक्ष्य न तो पूरी तरह से विश्वसनीय है और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय है, तो इसकी आवश्यकता हो सकती है।

पुष्टि, और ऐसे मामले में, अदालत अन्य मामलों में उपलब्ध विरोधाभासों पर भी ध्यान दे सकती है। [पैरा 20] [979-बी-डी]

विरोधी पक्ष के पक्ष में गवाही देना। एक गवाह उस पक्ष के पक्ष में गवाही दे सकता है जिसके पक्ष में यह उसकी मुख्य परीक्षा के माध्यम से देना है, जबकि बाद में विपरीत पक्ष के पक्ष में अपना विचार बदल देता है। न केवल विशिष्ट भाग में जो एक गवाह प्रतिकूल हो गया है, लेकिन जिन परिस्थितियों में यह हुआ है, उन पर भी विचार किया जा सकता है, विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जहां मुख्य परीक्षा पूरी हो गई थी और ऐसी परिस्थितियां हैं जो बाद के कारणों का संकेत देती हैं।

बयान, जिसे अदालत द्वारा समझा जा सकता है, का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। [पैरा 21] [982-ए-बी; डी-ई]

1.2 धारा 33, साक्ष्य अधिनियम, 1872 एक अपवाद है

सामान्य नियम जो प्रतिपरीक्षा के लिए पर्याप्त सुविधा को अनिवार्य करता है एक गवाह। हालांकि, एक ऐसे मामले में जहां एक गवाह मुख्य परीक्षा के पूरा होने के बाद और उसे एक ठोस [2022] 16 एस. सी. आर. के अधीन करते हुए।

पूरा किए जाने को अदालत द्वारा इस तरह माना जा सकता है और फिर आगे बढ़ाया जा सकता है। नतीजतन, जिन मुद्दों के लिए प्रतिपरीक्षा नहीं है यह पूरी परीक्षा को अस्वीकार्य बना देगा। [पैरा 24] [988-जी-एच; 989-ए]

1.3 सी. आर. पी. सी. की धारा 173 (2) जांच अधिकारी से अदालत के समक्ष अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का आह्वान करती है। यह एक रिपोर्ट है,

1.4 एक संयोग गवाह वह है जो संयोग से अपराध की घटना के स्थान पर होता है, और इसलिए, नहीं निश्चित रूप से। दूसरे शब्दों में, उनसे उक्त स्थान पर होने की अपेक्षा नहीं की जाती है। एक सड़क पर चलने वाला व्यक्ति गवाह है

अपराध करना एक संयोग गवाह हो सकता है। केवल इसलिए कि एक गवाह संयोग से एक घटना को देखता है, उसकी गवाही को टाला नहीं जा सकता है। एक संबंधित गवाह को स्वयं एक इच्छुक गवाह नहीं कहा जा सकता है। घटना के स्थान को अन्य परिस्थितियों के साथ देखना पड़ता है। एक संबंधित गवाह भी एक स्वाभाविक गवाह हो सकता है। एक संबंधित गवाह एक इच्छुक गवाह तभी बन सकता है जब वह उद्देश्यपूर्ण रूप से दोषी ठहराने में आरोपी को फंसाने की इच्छा रखता है। [पारस 26,28] [990-ई-एफ; 993-सी, डी]

1.5 गवाह की केवल गैर-जांच अभियोजन पक्ष के मामले को दूषित नहीं करेगी। यह गुणवत्ता राजेश यादव और ए. एन. आर. वी. पर निर्भर करता है।

और न कि गवाहों की संख्या और इसका महत्व। यदि अदालत अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के साथ-साथ मुकदमे को आगे बढ़ाने और आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सामग्री से संतुष्ट है, तो कोई पूर्वाग्रह नहीं हो सकता है। इसी तरह, यदि अदालत का विचार है कि सबूत

उस पक्ष की ओर से जो आरोप लगाता है कि गवाह को इसे साबित करने के लिए जानबूझकर पेश नहीं किया गया है। [पैरा 31] [997-बी-डी] 1.6 अभियोजन पक्ष द्वारा तीन चश्मदीद गवाहों से पूछताछ की जाती है। पीडब्लूएस-1 और 2 के बीच विरोधाभास नहीं है

स्वयं चश्मदीद गवाह हैं। केवल इसलिए कि वे संबंधित गवाह हैं, यह मानने के लिए किसी भी सामग्री के अभाव में कि वे रुचि रखते हैं, उनकी गवाही को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। एफ. आई. आर. दर्ज करने में भी कोई देरी नहीं हुई है। पीडब्लू-3 हालांकि शत्रुतापूर्ण हो गया, उसने अपनी मुख्य परीक्षा में इस घटना के बारे में बात की।

आश्चर्यजनक रूप से, प्रतिपरीक्षा में वह कछुआ बन गया, जबकि पहले की गई अपनी मुख्य परीक्षा के तथ्य पर विवाद करते हुए।

अदालत। पीडब्लू-1 के साक्ष्य को देखते हुए उक्त गवाह की विश्वसनीयता पर कुछ नहीं कहा गया है। 2. अदालतों का दृष्टिकोण यह गवाह भी स्वीकार किए जाने के योग्य है। [पैरा 33] [1000-ए-सी]

1.7 उच्च न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत आरोप के लिए निचली अदालत द्वारा दी गई दोषसिद्धि को सही ढंग से खारिज कर दिया है। पीडब्लू-1 और 2 ने घायल गवाह की उपस्थिति के बारे में बात नहीं की है। अभियोजन पक्ष ने उन परिस्थितियों के बारे में बताया जिनके तहत उन्हें पेश नहीं किया जा सका। केवल इसलिए कि उसे पेश नहीं किया गया था, अभियोजन पक्ष का पूरा मामला झूठा नहीं होगा। [पैरा 34] [1000-सी-डी]

विशेषज्ञ को, आधिकारिक गवाहों द्वारा समझाया गया है। वहाँ गवाही में कुछ भी अप्राकृतिक नहीं है। उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन पर बरामद हथियारों को विशेषज्ञ को भेजने या एफ. एस. एल. रिपोर्ट प्राप्त करने में कोई देरी नहीं पाई जाती है।

जिनके तहत उन्हें भेजा गया और प्राप्त किया गया, उनके बारे में बात की गई और समझाया गया। अपीलकर्ताओं ने न तो कथित देरी के कारण कोई पूर्वाग्रह दिखाया है और न ही उक्त रिपोर्ट के निष्कर्षों पर विवाद किया है। [पैरा 36,35] [1000-ई-जी]

1.9 अपीलकर्ताओं ने कहा कि चोटों के संबंध में जांच अधिकारी से आगे जिरह नहीं की जा सकी

और पुनर्प्राप्ति। यह अपने आप में अभियोजन पक्ष के पूरे मामले को खराब नहीं बनाएगा, यह कानून विशेष रूप से तब है जब अंतिम रिपोर्ट को स्वयं सबूत का एक ठोस टुकड़ा नहीं कहा जा सकता है, जो जांच अधिकारी की सामूहिक राय के अलावा और कुछ नहीं है। निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सबूतों पर विचार किया। इसी तरह,

यह तर्क कि घटना स्थल से बरामद कुछ अन्य खाली कार्ट्रिज के अस्तित्व के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है

अपीलार्थियों के लिए बरी करने की सुविधा नहीं होगी क्योंकि अपराध को फंसाने और साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री है।

उनके खिलाफ। [पैरा 37] [1000-जी; 1001-बी-सी]

1.10 यह न्यायालय इस तथ्यात्मक परिदृश्य पर न्यायिक ध्यान देता है कि निचली अदालतें प्रतिपरीक्षा को स्थगित कर रही हैं। बिना किसी तुकबंदी या कारण के प्रतिपरीक्षा के समापन के बाद निजी गवाह, एक टोपी की बूंद पर। प्रमुख का कार्यकाल पूरा होने के बाद लंबा स्थगन दिया जा रहा है।

परीक्षा, जो केवल रक्षा को समय के साथ कभी-कभी उन्हें जीतने में मदद करती है। इस प्रकार, यह न्यायालय यह दोहराना उचित समझता है कि निचली अदालतें मुख्य और पार दोनों निजी गवाहों की परीक्षा को यथासंभव उसी दिन पूरा करने का प्रयास करेंगी। इस खतरे को और कम करने के लिए, यह उम्मीद की जाती है कि निचली अदालतें जांच शुरू करेंगी

आधिकारिक गवाहों के साथ आगे बढ़ने से पहले निजी गवाहों की। [पैरा 39] [1001-ई-जी]

वादिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य, [1957] एससीआर 981; सी. मुनियप्पन बनाम। टी. एन. राज्य, (2010) 9 एस. सी. सी. 567:

[2010] 10 एस. सी. आर. 262; विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य (2015) 3 एससीसी 220: ; लाहू कमलाकर पाटिल बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2013) 6 एस. सी. सी. 417: [2015] 1 एससीआर 504; ए. पी. बनाम राज्य के. श्रीनिवासुलु रेड्डी, (2003) 12 एससीसी राजेश यादव और एएनआर बनाम।

उत्तर प्रदेश का राज्य

660 : [2003] 6 पूरक। एससीआर 1050; जरनैल सिंह बनाम। राज्य

पंजाब (2009) 9 एस. सी. सी. 719: [2009] 13 एससीआर 774;

भास्करराव बनाम. महाराष्ट्र राज्य (2018) 6 एस. सी. सी. 591:

(1976) 4 एस. सी. सी. 369; गुलाम सरबर बनाम। बिहार राज्य (2014) 3 एससीसी 401: [2013] 12 एस. सी. आर. 1-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1957] एससीआर 981

पैरा 20

संदर्भित किया गया है

[2010] 10 एससीआर 262

पैरा 22

संदर्भित किया गया है

(2015) 3 एससीसी 220

संदर्भित किया गया है

पैरा 23

[2015] 1 एससीआर 504

संदर्भित किया गया है

पैरा 25

[2003] 6 पूरक। एससीआर 1050

पैरा 26

संदर्भित किया गया है

[2009] 13 एससीआर 774

पैरा 27

संदर्भित किया गया है

[2018] 4 एससीआर 751

पैरा 29

संदर्भित किया गया है

(1976) 4 एस. सी. सी. 369

संदर्भित किया गया है

पैरा 31

[2013] 12 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 32

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः क्रिमिनल एपिया

नं. 339-340 2014 से।

उच्च न्यायालय के 14.08.2013 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2011 के राजधानी मामले Nos.3152 और 3153 में इलाहाबाद में न्यायपालिका

मनोज प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता। , प्रकाश कुमार सिंह, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

एस. आर. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , गर्वेश काबरा, विकास बंसल, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. एम. सुंदरेश, जे.

1. ये दोनों अपीलें द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न होती हैं

उच्च न्यायालय अपीलार्थियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए, भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 307 के तहत आरोपित अपराध के लिए सभी को बरी करते हुए, एक को छोड़कर शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करता है। पाँच अभियुक्तों में से उच्च न्यायालय [2022] 16 एस. सी. आर.

एक के लिए शुल्क की पर्याप्तता पर मामले को प्रेषित करना उचित समझा। इस अभियुक्त को एक बार फिर दोषी ठहराया गया और परिणामस्वरूप उसकी अपील उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

संक्षिप्त तथ्यः

2. 17.09.2004 पर लगभग 08.15 पर दो लोगों की मौत हो गई।

ए. एम. मौत कई गोलियों की चोटों के कारण हुई थी। पीडब्लू-1 द्वारा एक घंटे के भीतर एक प्राथमिकी दर्ज की गई, जो कोई और नहीं बल्कि मृतक में से एक का भतीजा है।

3. इस घटना का मकसद दो समूहों के बीच लंबे समय तक चले चुनाव विवाद प्रतीत होता है। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, दो चश्मदीद गवाह चाय पी रहे थे। एक दुपहिया वाहन पर सड़क से गुजर रहे मृतक को दो दोपहिया वाहनों में यात्रा कर रहे अभियुक्तों ने रास्ते से रोक दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। उसी तारीख को पीडब्लू-4 द्वारा पोस्टमॉर्टम किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) पी. डब्ल्यू.-7 द्वारा दर्ज की गई थी। पीडब्लू-13,8 और 14 जाँच अधिकारी थे। पीडब्लू-13 ने जाँच का बड़ा हिस्सा किया और उनके स्थानांतरण पर, अंतिम रिपोर्ट पीडब्लू-8 द्वारा दायर की गई। शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत आरोप से संबंधित, यह पीडब्लू-14 था जिसने बाद की अंतिम रिपोर्ट दायर की।

4. हमारे सामने सभी अभियुक्तों से बरामदगी की गई है। जहाँ तक अभियुक्त संख्या 3 का संबंध है, उसके बयान पर वसूली उसकी पत्नी की अभिरक्षा से उसके घर से बनाया गया था।

5. जब्त की गई वस्तुओं को फोरेंसिक विज्ञान को भेज दिया गया

प्रयोगशाला (एफएसएल) और एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। पीडब्लू-10, पुलिस सिपाही वह था जो प्रयोगशाला में हथियार ले गया। 6. अभियोजन पक्ष की ओर से एफएसएल रिपोर्ट सहित 47 दस्तावेजों को चिह्नित करते हुए 14 गवाहों से पूछताछ की गई है। अभियुक्त ने

व्यक्तियों ने केवल एक गवाह को अनुमति दी और वह भी अभियुक्त संख्या 5 का समर्थन करने के लिए जो हमारे सामने नहीं है।

7. पीडब्लू-1 वास्तविक रूप से शिकायतकर्ता है। वह पीडब्लू-2 और 3 के साथ मामले के चश्मदीद गवाह बनते हैं। पीडब्लू-2 एक का भाई है

मृतक। पीडब्लू-3, जो एक स्वतंत्र गवाह है, अभियोजन पक्ष के पक्ष में अपने मुख्य बयान के बाद मुकर गया। पीडब्लू-4 वह डॉक्टर है जिसने पोस्टमॉर्टम किया और अपनी राय दी। तीन जाँच अधिकारी सहित अन्य गवाह आधिकारिक गवाह हैं। इन गवाहों में से पीडब्लू-13 जांच करने वाला था। विस्तृत मुख्य परीक्षा के बाद एक और विस्तृत क्रॉस राजेश यादव और ए. एन. आर. बनाम।

उत्तर प्रदेश का राज्य

[एम. एम. सुंदरेश, जे.]

परीक्षा, जारी करने सहित न्यायालयों द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद

गैर-जमानती वारंट के कारण, वह आगे गवाही देने के लिए नहीं आया। ओम प्रकाश नामक एक गवाह, जिसे घायल गवाह बताया गया है, को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

अभियोजन पक्ष द्वारा इस आधार पर जाँच की गई कि उसे सुरक्षित नहीं किया जा सका। उपरोक्त पर ध्यान देते हुए, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सही ढंग से बरी कर दिया।

8. धारा 313 के तहत अदालत द्वारा पूछताछ के दौरान

दंड प्रक्रिया संहिता (सी. आर. पी. सी.), सभी अभियुक्तों ने एक साधारण इनकार किया, हालांकि मौखिक और दस्तावेजी दोनों सामग्री को उनके संज्ञान में लाया गया था। निचली अदालत द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा को उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त रूप में संशोधित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उच्च न्यायालय ने सभी पहलुओं पर गौर किया और एक सुविचारित निर्णय दिया जिसे हमारे समक्ष विवादित किया जाना चाहिए।

प्रस्तुतियाँः

अपीलार्थियों की प्रस्तुतियाँः

9. अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील ने कहा कि अस्पष्ट कारणों से स्वतंत्र घायल चश्मदीद गवाह, ओम प्रकाश की अभियोजन पक्ष द्वारा जांच की गई थी। अन्य दो चश्मदीद गवाह संबंधित हैं और संयोग गवाह स्पष्ट रूप से प्राप्त करने में रुचि रखते हैं संवहन। पीडब्लू-13 के साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि उनसे पूरी तरह से जिरह नहीं की गई थी। यदि मृतक भाग रहे थे और चोटें उनका पीछा करने से लगी थीं, तो गोलियों को फैलाने के बजाय उनके शरीर के पास किसी विशेष स्थान पर नहीं पाया जा सकता था। एफ. एस. एल. रिपोर्ट प्राप्त करने में काफी देरी हो रही है। एक असंबंधित कारतुस बरामद किया गया है जो अभियोजन पक्ष के बयान पर गंभीर संदेह पैदा करता है। उपरोक्त दलीलों के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों पर रिलायंस बनाया गया हैः

• गोपाल सरन बनाम। सत्यनारायण, (1989) 3 एस. सी. सी. 56
• उड़ीसा राज्य बनाम। प्रसन्ना कुमार मोहंती (2009) 7

एस. सी. सी. 412

● सांता सिंह बनाम। पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 526
• एंटेर सिंह बनाम। राजस्थान राज्य (2004) 10 एस. सी. सी. 657

● जागीर सिंह बनाम। राज्य (दिल्ली प्रशासन), 1975 सीआरएल एलजे

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य की प्रस्तुतियाँः

10. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि

निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सामग्री का पर्याप्त मूल्यांकन किया। केवल इसलिए कि पीडब्लू-1 और 2 मृतक के रिश्तेदार हैं, उनकी गवाही पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अदालतों ने पी. डब्ल्यू.-3 के साक्ष्य को उचित रूप से ध्यान में रखा, हालांकि पी. डब्ल्यू.-13 के साथ प्रतिकूल हो गया। अन्य गवाह भी जाँच के बारे में बात करते हैं।

11. विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट स्पष्ट रूप से संकेत देगी।

कि अपीलार्थियों से बरामद हथियारों का वास्तव में उपयोग किया गया था

अपराध करना। सभी गवाहों से पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीडब्लू-13 ने घायल गवाह ओम प्रकाश को पेश करने में असमर्थता का कारण स्पष्ट रूप से बताया है। किसी भी मामले में, उच्च न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया है। इसलिए, बिल्कुल कोई आधार नहीं है

इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के लिए बनाया गया।

कानून के सिद्धांतः

साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3:

" 3. व्याख्या-खंड। इस अधिनियम में निम्नलिखित

शब्दों और अभिव्यक्तियों का उपयोग निम्नलिखित अर्थों में किया जाता है,

जब तक कि संदर्भ से कोई विपरीत इरादा प्रकट न होः

XXX

XXX

XXX

" सबूत "। साक्ष्य का अर्थ है और इसमें शामिल हैं

(1) वे सभी कथन जिनकी न्यायालय अनुमति देता है या

गवाहों द्वारा इसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है, जाँच के अधीन तथ्य के मामलों के संबंध में,

ऐसे बयानों को मौखिक साक्ष्य कहा जाता है।

(2) [इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख सहित सभी दस्तावेज

न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया],

ऐसे दस्तावेजों को दस्तावेजी कहा जाता है।

सबूत।

" सिद्ध "। - एक तथ्य साबित होने के लिए कहा जाता है जब, अपने समक्ष के मामलों पर विचार करते हुए, न्यायालय या तो मानता है

इसका अस्तित्व है, या इसके अस्तित्व को इतना संभावित मानता है कि एक

उत्तर प्रदेश का राज्य

[एम. एम. सुंदरेश, जे.]

विवेकशील व्यक्ति को, परिस्थितियों के तहत विशेष मामले में, इस धारणा पर कार्रवाई करने के लिए कि यह मौजूद है।

" अप्रमाणित "। — एक तथ्य को तब अस्वीकृत कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष मामलों पर विचार करने के बाद या तो

यह मानता है कि इसका अस्तित्व नहीं है, या इसके अस्तित्व को इतना संभावित मानता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को, विशेष मामले की परिस्थितियों में, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए

मान लीजिए कि इसका अस्तित्व नहीं है "।

12. साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 "साक्ष्य" को परिभाषित करती है, जिसे मोटे तौर पर मौखिक और दस्तावेजी में विभाजित किया गया है। " अधिनियम के तहत "साक्ष्य" है

इसका अर्थ है, कारक या सामग्री, एक तथ्य के अस्तित्व के लिए एक तार्किक अनुमान के माध्यम से संभावना की एक डिग्री उधार देना। यह एक "विशेषण कानून" है जो मूल कानून पर प्रकाश डालता है और सहायता करता है। इस प्रकार, यह न तो पूरी तरह से प्रक्रियात्मक है और न ही

मूल, हालांकि दोनों के जाल को महसूस किया जा सकता है।

13. "सिद्ध" शब्द की परिभाषा हालांकि एक प्रभाव डालती है।

14. एक तथ्य को साबित करने के लिए मामले आवश्यक, सहवर्ती भौतिक कारक हैं। सभी साक्ष्य "मामले" होंगे लेकिन इसके विपरीत नहीं। अन्य में शब्दों में, मामलों को एक जीनस के रूप में कहा जा सकता है जिसका प्रमाण एक प्रजाति होगी। मामले सच्चाई को समझने में अदालत के प्रवास में पर्याप्त गोला-बारूद देने वाले साक्ष्य को भी ताकत देते हैं। इस प्रकार, "मामलों" की परिभाषा संपूर्ण है, और इसलिए, "साक्ष्य" की तुलना में बहुत व्यापक है। हालांकि, एक चेतावनी है, क्योंकि अदालत को ऐसे मामले पर विचार नहीं करना चाहिए जो कानून में वर्जित होने पर सबूत का रूप प्राप्त कर लेता है। अदालत के लिए किसी तथ्य के अस्तित्व में विश्वास करने के लिए मामलों की आवश्यकता होती है।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य, पुष्टिकारक साक्ष्य, व्युत्पन्न साक्ष्य, प्रत्यक्ष साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, सुनी-सुनाई बातों जैसे साक्ष्य। साक्ष्य, अप्रत्यक्ष साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, मूल साक्ष्य, अनुमानित [2022] 16 एस. सी. आर.

साक्ष्य, प्राथमिक साक्ष्य, वास्तविक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य, मूल साक्ष्य, प्रशंसात्मक साक्ष्य आदि। 16. इसके अलावा, वे संभावना की डिग्री को बढ़ाकर एक तथ्य के अस्तित्व को साबित करने में साक्ष्य का पूरक हैं। एक के रूप में

"पदार्थ" शब्द की संपूर्ण व्याख्या की जानी चाहिए, और उस उद्देश्य के लिए, "अर्थ और शामिल" शब्दों की अभिव्यक्ति की परिभाषा, जिसका अर्थ साक्ष्य के लिए लागू किया जाना है, को "पदार्थ" की अभिव्यक्ति में भी शामिल किया जाना चाहिए। इस प्रकार, किसी मामले में ऐसे मामले शामिल हो सकते हैं जो धारा 3 की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं।

बार। 17. न्यायालय के लिए जो महत्वपूर्ण है वह है किसी तथ्य के अस्तित्व के आधार पर उसके समक्ष मामलों का संभाव्यता के स्तर पर विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालना। पूरा अधिनियम अदालत को किसी तथ्य को साबित करने में उचित निष्कर्ष पर पहुंचने में सुविधा प्रदान करने के लिए है। दो तरीके हैं जिनके द्वारा अदालत से इस तरह के निर्णय पर आने की उम्मीद की जाती है। न्यायालय केवल अपने समक्ष के मामलों पर विचार करके, यह राय बनाते हुए कि यह मौजूद है, किसी तथ्य के अस्तित्व पर निष्कर्ष पर आ सकता है। न्यायालय का यह विश्वास उसके समक्ष मामलों के मूल्यांकन पर आधारित है। वैकल्पिक रूप से, न्यायालय उक्त अस्तित्व को एक विवेकपूर्ण व्यक्ति के दृष्टिकोण से संभावित मान सकता है जो इस धारणा पर कार्य कर सकता है कि यह मौजूद है। विकल्पों के चयन के बारे में सवाल अदालत पर फैसला करने के लिए छोड़ दिया जाता है। उक्त निर्णय उसके समक्ष मामलों की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है।

18. अधिनियम के तहत "विवेकपूर्ण" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। जब न्यायालय इसके बजाय परिभाषा खंड के दूसरे भाग पर विचार करना चाहता है

अपने आप में किसी तथ्य के अस्तित्व पर विश्वास करने के लिए, उससे एक विवेकपूर्ण व्यक्ति की भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। ऐसे विवेकशील व्यक्ति को आम आदमी के दृष्टिकोण से समझना होगा। इसलिए, एक न्यायाधीश को एक विवेकपूर्ण व्यक्ति में बदलना पड़ता है और एक न्यायाधीश के बजाय उस चश्मे के माध्यम से मामलों पर विचार करने के बाद एक तथ्य के अस्तित्व का आकलन करना होता है। उक्त अभ्यास करने के बाद ही वह मामले में आगे बढ़ने के लिए एक न्यायाधीश के रूप में अपनी भूमिका को फिर से शुरू कर सकते हैं।

19. उपरोक्त प्रावधान यह भी इंगित करता है कि न्यायालय पूरी गवाही के विपरीत, मुद्दे और प्रासंगिक दोनों में एक तथ्य के अस्तित्व से संबंधित है। इस प्रकार, एकाग्रता उस तथ्य के प्रमाण पर होती है जिसके लिए एक गवाह की आवश्यकता होती है। इसलिए, एक अदालत सराहना कर सकती है

और राजेश यादव और ए. एन. आर. v. को अस्वीकार करते हुए किसी विशेष मुद्दे पर गवाह की गवाही को स्वीकार करें।

उत्तर प्रदेश का राज्य

[एम. एम. सुंदरेश, जे.]

यह दूसरों पर है क्योंकि यह साबित किए जाने वाले तथ्य के मुद्दे पर केंद्रित है। हालाँकि, हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि एक गवाह का साक्ष्य समग्र रूप से अदालत के लिए एक तथ्य को साबित करने की संभावना पर निर्णय लेने का मामला है जिसमें गवाह की विश्वसनीयता शामिल है। कोई मुद्दा समाप्त होता है या नहीं, यह भी अदालत के अधिकार क्षेत्र में आता है।

साक्ष्य की प्रशंसा;

20. हम पहले ही साक्ष्य के विभिन्न वर्गीकरण का संकेत दे चुके हैं।

उपरोक्त साक्ष्य को उससे जुड़े मामलों के साथ सराहना करते हुए, साक्ष्य को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात् (i) पूरी तरह से विश्वसनीय, (ii) पूरी तरह से अविश्वसनीय और (iii) न तो पूरी तरह से विश्वसनीय और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय। यदि साक्ष्य, उसके आसपास के मामलों के साथ, अदालत को विश्वास दिलाता है कि यह पूरी तरह से विश्वसनीय है क्योंकि यह एक मुद्दा है, तो यह संभावना की डिग्री पर अपने अस्तित्व का फैसला कर सकता है। ऐसा ही मामला है जहाँ सबूत विश्वसनीय नहीं हैं। जब प्रस्तुत साक्ष्य न तो पूरी तरह से विश्वसनीय होता है और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय होता है, तो इसकी पुष्टि की आवश्यकता हो सकती है, और ऐसे मामले में, अदालत अन्य मामलों में उपलब्ध विरोधाभासों पर भी ध्यान दे सकती है। वादिवेलु थेवर बनाम में इस न्यायालय के प्रसिद्ध निर्णय में कानून के उपरोक्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। मद्रास राज्य, 1957 एससीआर 981:

" इन विचारों को ध्यान में रखते हुए, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि यह तर्क कि एक हत्या के मामले में, अदालत को गवाहों की बहुलता पर जोर देना चाहिए, बहुत व्यापक रूप से कहा गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 ने इसे स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है

कि "किसी भी मामले में, किसी भी तथ्य के प्रमाण के लिए गवाहों की किसी विशेष संख्या की आवश्यकता नहीं होगी"। विधायिका ने बहुत पहले 1872 में, संभवतः पक्ष और विपक्ष पर उचित विचार करने के बाद, यह निर्धारित किया था कि किसी तथ्य के प्रमाण या खंडन के लिए किसी विशेष संख्या में गवाहों को बुलाना आवश्यक नहीं होगा। इंग्लैंड में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के पारित होने से पहले और बाद में, सरकार के साक्ष्य कानून-9 वीं संस्करण में निर्धारित कई कानून बने हैं। , पीपी में। 1100 और 1101, एकल गवाह की गवाही पर दोषसिद्धि का निषेध। भारतीय विधानमंडल ने एस में मान्यता प्राप्त सामान्य नियम के लिए ऐसे किसी भी अपवाद को निर्धारित करने पर जोर नहीं दिया है। 134 ऊपर उद्धृत किया गया।

आई. ई. अदालत की रिपोर्ट

विधायिका को गवाहों की बहुलता पर जोर देना था, ऐसे मामले जहां अपराध के प्रमाण में केवल एक गवाह की गवाही उपलब्ध हो सकती थी, उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा। यह यहाँ है कि विवेक का पीठासीन न्यायाधीश खेल में आता है। इस प्रकार मामला प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर होना चाहिए और

एकल गवाह के साक्ष्य की गुणवत्ता जिसकी गवाही को या तो स्वीकार किया जाना है या अस्वीकार किया जाना है। यदि अदालत द्वारा ऐसी गवाही पूरी तरह से विश्वसनीय पाई जाती है, तो ऐसे सबूत पर आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। भले ही किसी अभियुक्त व्यक्ति का अपराध हो सकता है

अभियोजन पक्ष के लिए मामले की सच्चाई की गवाही देने के लिए आगे आना। इसलिए, हमारी राय में, यह एक ध्वनि है और कानून का अच्छी तरह से स्थापित नियम है कि अदालत का संबंध गुणवत्ता से है न कि किसी तथ्य को साबित करने या गलत साबित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की मात्रा से। आम तौर पर, इस संदर्भ में मौखिक गवाही को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात्:

(1) पूरी तरह से विश्वसनीय। (2) पूरी तरह से अविश्वसनीय।

(3) न तो पूरी तरह से विश्वसनीय और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय।

एसएच यादव और एएनआर बनाम। उत्तर प्रदेश का राज्य

[एम. एम. सुंदरेश, जे.]

सबूत की पहली श्रेणी में, अदालत को किसी भी तरह से अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए-वह किसी एक गवाह की गवाही पर दोषी ठहरा सकती है या बरी कर सकती है, अगर वह निंदा या रुचि, अक्षमता या संदेह से परे पाई जाती है।

सबोर्नेशन। दूसरी श्रेणी में, न्यायालय को अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में समान रूप से कोई कठिनाई नहीं होती है।

यह मामलों की तीसरी श्रेणी में है कि अदालत को चौकस रहना पड़ता है और विश्वसनीय गवाही, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य द्वारा सामग्री विवरणों में पुष्टि की तलाश करनी होती है। जिद करने में एक और खतरा है

गवाहों की बहुलता पर। एकल गवाह के मौखिक साक्ष्य की गुणवत्ता के बावजूद, यदि अदालतें किसी भी तथ्य के प्रमाण में गवाहों की बहुलता पर जोर देना, वे अप्रत्यक्ष रूप से उत्साहजनक होंगे

गवाहों का अधीनता। स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं और वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ केवल एक व्यक्ति उपलब्ध होता है

किसी विवादित तथ्य के समर्थन में साक्ष्य दें। स्वाभाविक रूप से अदालत को इस तरह की गवाही पर सावधानीपूर्वक विचार करना होगा। और यदि यह संतुष्ट है कि साक्ष्य विश्वसनीय है और उन सभी कलंकों से मुक्त है जो मौखिक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं

संदेह के लिए खुली गवाही, ऐसी गवाही पर कार्रवाई करना इसका कर्तव्य बन जाता है। कानून की रिपोर्टों में कई उदाहरण हैं जहां अदालत को एक ही गवाह की गवाही पर निर्भर रहना पड़ता था और उस पर कार्य करना पड़ता था।

अभियोजन पक्ष का समर्थन। इस नियम के अपवाद हैं, उदाहरण के लिए, यौन अपराधों के मामलों में या एक सरकारी गवाह की गवाही के मामलों में; ये दोनों ऐसे मामले हैं जिनमें मौखिक गवाही, अपनी प्रकृति से, संदिग्ध है, जो अपराध में भागीदार है। लेकिन,

जहाँ ऐसे कोई अपवादात्मक कारण नहीं हैं

यदि यह संतुष्ट हो कि किसी एक गवाह की गवाही पूरी तरह से विश्वसनीय है, तो दोषी ठहराना अदालत का कर्तव्य बन जाता है। इसलिए हमारे पास कोई कारण नहीं है।

पहले की गवाही पर कार्रवाई करने से इनकार करना

गवाह, जो समर्थन में एकमात्र विश्वसनीय सबूत है

अभियोजन पक्ष का। "[2022] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शत्रुतापूर्ण गवाहः

21. "शत्रुतापूर्ण गवाह" अभिव्यक्ति में कोई स्थान नहीं मिलता है

भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसका अर्थ एक गवाह की गवाही है जो विरोधी पक्ष के पक्ष में गवाही देने के लिए मुड़ता है। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि एक गवाह उस पक्ष के पक्ष में गवाही दे सकता है जिसके पक्ष में उसे अपनी मुख्य परीक्षा के माध्यम से देना है, जबकि बाद में विपरीत पक्ष के पक्ष में अपना विचार बदल सकता है। इसी तरह, ऐसे मामले होंगे जहां एक गवाह मुख्य परीक्षा से ही पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करता है। इस वर्गीकरण को ध्यान में रखना होगा

अदालत। पहली श्रेणी के संबंध में, न्यायालय को ऐसे गवाह द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का उचित मूल्यांकन करने की अपनी शक्ति से वंचित नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि मुख्य जाँच को भी सबूत कहा जा सकता है। इस तरह के साक्ष्य प्रतिपरीक्षा के बाद पूर्ण हो जाएंगे। एक बार जब साक्ष्य पूरा हो जाता है, तो समग्र रूप से उक्त गवाही अदालत के लिए एक तथ्य का आकलन और सराहना करने के लिए होती है। इसलिए, न केवल उस विशिष्ट भाग पर विचार किया जा सकता है जिसमें एक गवाह शत्रुतापूर्ण हो गया है, बल्कि उन परिस्थितियों पर भी विचार किया जा सकता है जिनके तहत यह हुआ है, विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जहां मुख्य परीक्षा पूरी हो गई थी और बाद के बयान के पीछे के कारणों का संकेत देने वाली परिस्थितियां हैं, जिन्हें अदालत द्वारा समझा जा सकता है। यह मूल्यांकन करने के लिए अदालत की शक्तियों के भीतर है, क्योंकि यह उसके सामने एक मामला है और सही निष्कर्ष पर आता है।

22. किसी मुद्दे पर गवाह की गवाही से निपटने के लिए निर्धारित कानून पर, हम इसके निर्णय पर भरोसा करना चाहेंगे।

सी. मुनियप्पन बनाम में न्यायालय। टी. एन. राज्य, (2010) 9 एस. सी. सी. 567:

" 81. यह तय किया गया कानूनी प्रस्ताव है किः

“ 6. ..... अभियोजन पक्ष के गवाह के साक्ष्य को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने उसके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने और उससे जिरह करने का विकल्प चुना। ऐसे गवाहों के साक्ष्य को मिटाया हुआ या पूरी तरह से रिकॉर्ड से धोया हुआ नहीं माना जा सकता है, लेकिन इसे इस हद तक स्वीकार किया जा सकता है कि उनका बयान क्या है।

सावधानीपूर्वक जाँच पर निर्भर पाया गया

वहाँ से "।

(भगवान सिंह बनाम। हरियाणा राज्य, (1976) 1 एस. सी. सी. 389, रवीन्द्र कुमार डे बनाम।

उड़ीसा राज्य, एसएच यादव और ए. एन. आर. बनाम। उत्तर प्रदेश का राज्य

[एम. एम. सुंदरेश, जे.]

(1976) 4 एस. सी. सी. 233, सैयद अकबर बनाम। की स्थिति

कर्नाटक (1980) 1 एस. सी. सी. 30 और खुज्जी बनाम। एम. पी. राज्य, (1991) 3 एस. सी. सी. 627, एस. सी. सी. पी. 635 , पैरा 6.)

82. यू. पी. राज्य बनाम रमेश प्रसाद मिश्रा

[(1996) 10 एससीसी 360: 1996 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1278] इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि (एस. सी. सी. पी. में। 363, पैरा 7) शत्रुतापूर्ण गवाह के साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जाएगा यदि अभियोजन पक्ष या अभियुक्त का पक्ष लेकिन गहन जांच के अधीन होने की आवश्यकता है और

सबूत जो मामले के अनुरूप है

अभियोजन या बचाव पक्ष पर भरोसा किया जा सकता है। ए.

बालू सोनबा शिंदे बनाम में इस न्यायालय द्वारा इसी तरह के विचार को दोहराया गया है। महाराष्ट्र राज्य [(2002) 7 एससीसी 543: 2003 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 112], गगन कनौजिया बनाम। पंजाब राज्य [(2006) 13 एससीसी 516: (2008) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 109], राधा मोहन सिंह बनाम। यू. पी. राज्य

13 एससीसी 360: (2009) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 188] और सुब्बू सिंह बनाम। राज्य [(2009) 6 एससीसी 462: (2009) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1106] 83. इस प्रकार, कानून को सारांशित किया जा सकता है

कि शत्रुतापूर्ण गवाह का साक्ष्य नहीं हो सकता है

समग्र रूप से त्याग दिया गया, और उसके प्रासंगिक भाग जो कानून में स्वीकार्य हैं, द्वारा उपयोग किया जा सकता है

अभियोजन या बचाव।

84. तत्काल मामले में, कुछ भौतिक गवाह

यानी बी. कमल (पीडब्लू 86) और आर. मारुथू (पीडब्लू 51)

शत्रुतापूर्ण हो गए। उनके सबूत ले लिए गए हैं

निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा सख्ती से विचार किया जाता है

कानून के अनुसार। कुछ चूक, सुधार

पीडब्लू के साक्ष्य में इंगित किया गया है

अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा, लेकिन हम

उन्हें प्रकृति में बहुत तुच्छ पाते हैं।

85. यह कानून का तय प्रस्ताव है कि भले ही कुछ चूक, विरोधाभास और विसंगतियां हों,

पूरे साक्ष्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

आई. ई. अदालत की रिपोर्ट

देखभाल और सावधानी बरतें और इसके माध्यम से छानना

चूक, विरोधाभास और विसंगतियों से जुड़ा नहीं होना चाहिए जो दिल में नहीं जाते हैं मामला और मूल संस्करण को हिलाएं

अभियोजन पक्ष का गवाह। ए की मानसिक क्षमताओं के रूप में मनुष्य से अनुरूप होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है

घटना के सभी विवरणों को अवशोषित करें, मामूली

गवाहों के बयानों में विसंगतियां होना तय है।

वीडे सोहराब वी. एम. पी. राज्य, [(1972] 3 एस. सी. सी. 751: (1972) एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 819: ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 2020], यू. पी. राज्य बनाम एम. के. एंथनी, [(1985) 1 एस. सी. सी. 505: 1985

एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 105], भारवाड़ा भोगिनभाई हिरजिभाई

वी. गुजरात राज्य, [(1983) 3 एस. सी. सी. 217: 1983 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 728: ए. आई. आर 1983 एस. सी. 753], राजस्थान राज्य

वी. ओम प्रकाश, [(2007) 12 एससीसी 381: (2008) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 411], पृथ्वी बनाम। एच. पी. राज्य, [(2009) 11 एस. सी. सी. 585: (2009) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1502], यू. पी. राज्य बनाम संतोष कुमार, [(2009) 9 एससीसी 626: (2010) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 88] और राज्य बनाम। सरवनन, [(2008) 17 एससीसी

587 : (2010) 4 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 580]

विनोद कुमार बनाम. पंजाब राज्य (2015) 3

ईडी ने एक ऐसी स्थिति से निपटा जहां एक गवाह के बाद

अभियोजन पक्ष के संस्करण के अनुरूप, पूरी तरह से

किसी कार्य की अनुमति देने के लिए दिए गए लंबे स्थगनों का

होने वाली ऐसी स्थितियों पर ध्यान देना

उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की और कहा किः

" 51. यह ध्यान रखना आवश्यक है, हालांकि दर्दनाक है कि पीडब्लू 7 की जाँच 30-9-1999 पर मुख्य रूप से की गई थी और लगभग 1 वर्ष और 8 महीने के बाद 25-5-2001 पर प्रतिपरीक्षा की गई थी। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, उक्त प्रतिपरीक्षा में देरी ने कई कारणों से पूर्वधारण के लिए पर्याप्त समय दिया था।

एस. एच. यादव और ए. एन. आर. बनाम के रूप में बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष दोनों के लिए एक निष्पक्ष सुनवाई निष्पक्ष होनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश का राज्य

[एम. एम. सुंदरेश, जे.]

इस प्रकृति के मामले में प्रतिपरीक्षा के लिए बहुत समय। विद्वत विचारण न्यायाधीश की ओर से इसे समाप्त करना बिल्कुल उचित होता। जिस दिन उक्त गवाह से पूछताछ की गई थी, उस दिन प्रतिपरीक्षा की गई थी। जैसा कि स्पष्ट है, बिना किसी कारण के इसे स्थगित कर दिया गया और 20 महीनों के बाद प्रतिपरीक्षा की गई। साक्षी के पास दुनिया में हर समय प्राप्त करने के लिए था। हम पहले ही कह चुके हैं कि उसे शत्रु घोषित कर दिया गया था और फिर से जाँच की गई थी।

52. कानून में यह तय किया गया है कि एक शत्रुतापूर्ण गवाह की गवाही पर अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किया जा सकता है

और रक्षा भी। जनता द्वारा पुनः परीक्षा में

अभियोजक, पीडब्लू 7 ने इसके बारे में स्वीकार किया है

13-9 1999 पर अदालत में उनके बयान की शुद्धता। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने अदालत के पीठासीन अधिकारी से कोई शिकायत नहीं की थी

लिखित या मौखिक रूप से कि निरीक्षक था

उसे गलत बयान देने की धमकी दी अदालत। उनके द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि उन्होंने निरीक्षक द्वारा गलत निहितार्थ के डर से अदालत में बयान दिया था। वह अपने कथन दिनांक 13-9-1999 पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गया है और यह स्वीकार करने के बाद कि यह सही है। पुनःपरीक्षा में यह सामने आया है कि पीडब्लू 7 ने अदालत में अपने दिनांक 1 के बयान में यह नहीं कहा था कि आरोपी से उसकी उपस्थिति में दागी धन की वसूली नहीं की गई थी या उसे बताया गया था

निरीक्षक द्वारा उस राशि को अभियुक्त से बरामद कर लिया गया है। उन्होंने अपने उक्त बयान में यह भी नहीं कहा था कि आरोपी और गवाहों को तहसील ले जाया गया था और वहां उन्होंने सभी पर हस्ताक्षर किए थे

मेमोस। 53. साक्ष्य को पूरी तरह से पढ़ते हुए, पीडब्लू 7 का

साक्ष्य को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। क्रॉस [2022] 16 एस. सी. आर. में देरी।

आई. ई. अदालत की रिपोर्ट

जाँच के परिणामस्वरूप उसे मुख्य परीक्षा से पूर्वनिर्धारित कर दिया गया है। लेकिन, एक महत्वपूर्ण, उसका

जाँच-इन-चीफ और पुनः जाँच हमें इस गवाही को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है कि वह ऑक्ट्राय पद पर गया था और आरोपी द्वारा धन की मांग और स्वीकृति के बारे में गवाह था। अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि वह किसी भी समय बाज सिंह के साथ सतर्कता विभाग नहीं गए थे और उनकी उपस्थिति में कोई वसूली नहीं की गई थी। गवाही का उक्त भाग, हमारे सुविचारित विचार में, की पृष्ठभूमि में स्वीकृति की सराहना नहीं करता है जाँच-इन-चीफ और पुनः जाँच में पूरा साक्ष्य।

XXX

XXX

XXX

57.1 . मुकदमा आयोजित करने के सभी सिद्धांतों के विपरीत, वकील द्वारा टोपी की बूंद पर स्थगन की मांग की जाती है, भले ही गवाह अदालत में मौजूद हो। इसके अलावा, एक गवाह की मुख्य परीक्षा समाप्त होने के बाद, जिरह के लिए स्थगन की मांग की जाती है और परेशान करने वाली विशेषता यह है कि निचली अदालतें समय देती हैं। कानून में समय देने के लिए विशेष कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता होती है लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। 57.2 . जैसा कि पहले देखा गया है, तत्काल मामले में गवाह पर दबाव बनाने और सभी प्रकार के हथकंडे अपनाकर उस पर हावी होने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए एक वर्ष और 8 महीने के बाद जिरह की गई है।

57.3 . इस प्रस्ताव पर कोई संदेह नहीं है कि एक निष्पक्ष और उचित सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन मुकदमे का संचालन करते समय अदालत का कर्तव्य एस. एच. यादव और ए. एन. आर. बनाम द्वारा निर्देशित किया जाना है।

उत्तर प्रदेश का राज्य

[एम. एम. सुंदरेश, जे.]

कानून का अधिदेश, वैचारिक निष्पक्षता और सबसे बढ़कर, अभिलेख पर लाई गई सामग्री के आधार पर सच्चाई तक पहुंचने के अपने पवित्र कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए। यदि कोई अभियुक्त अपने लाभ के लिए मुकदमा चलाता है

पूर्ण उपहास के रास्ते पर, यह नहीं हो सकता है

इस तरह से दिया जाता है कि यह कानून के शासन के उल्लंघन के समान होगा और अंततः ऐसा हो जाएगा एक प्रहसन के लिए परीक्षण। यह कानूनी रूप से अस्वीकार्य है और

न्यायशास्त्र की दृष्टि से घृणित। निचली अदालतें हैं

स्वीकार्य कारण। 57.4 . वास्तव में, इतने लंबे समय के बाद किसी गवाह को जिरह के लिए बुलाना बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है। यह अनिवार्य है कि यदि मुख्य परीक्षा समाप्त हो जाती है, तो उसी दिन प्रतिपरीक्षा पूरी की जानी चाहिए। यदि किसी गवाह की पूछताछ देर तक जारी रहती है तो मुकदमे को स्थगित किया जा सकता है।

अगले दिन प्रतिपरीक्षा के लिए। कानून में यह अकल्पनीय है कि प्रतिपरीक्षा को इतने लंबे समय तक स्थगित किया जाना चाहिए। यह उचित और निष्पक्ष सुनवाई की अवधारणा के लिए अभिशाप है।

57.5 . न्यायालय का कर्तव्य यह देखना है कि न केवल कानून के अनुसार अभियुक्त के हितों की रक्षा की जाए, बल्कि

सामाजिक और सामूहिक हित भी है सुरक्षित किया गया। यह दुखद है कि इसके बावजूद

इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला, स्थगन देने की आदत, वास्तव में एक बीमारी, जारी है। हम कब तक कहेंगे, "जागो! उठो! " . वहाँ एक निरंतर असुविधा है। इसलिए, हम यह उचित समझते हैं कि निर्णय की प्रतियां सभी उच्च न्यायालयों के विद्वान मुख्य न्यायाधीशों को प्रसारित करने के लिए भेजी जाएं। विद्वत विचारण न्यायाधीशों के बीच एक ही

मुकदमे से संबंधित सिद्धांतों का पालन करने का आदेश

एक आवश्यक तरीका और क्रॉस [2022] 16 एस. सी. आर. को स्थगित नहीं करना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक गवाह की उनकी खुशी पर या बचाव पक्ष के वकील के अवकाश पर परीक्षा, इसके लिए अंततः

मुकदमे को मुकदमे के लिए माफी बनाता है और मजबूर करता है

पूरा समाज छल-कपट का शिकार होगा। रहने दीजिए।

याद रखें कि कानून को अकेला नहीं होने दिया जा सकता है; एक बेसहारा।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 33:

" 33. साबित करने के लिए कुछ सबूतों की प्रासंगिकता,

बाद की कार्यवाही में, तथ्यों की सच्चाई

उसमें कहा गया है। - न्यायिक कार्यवाही में एक गवाह द्वारा दिया गया साक्ष्य, या इसे लेने के लिए कानून द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष, बाद की न्यायिक कार्यवाही में, या उसी न्यायिक कार्यवाही के बाद के चरण में, उन तथ्यों की सच्चाई को साबित करने के उद्देश्य से प्रासंगिक है जो यह बताता है कि जब गवाह मर चुका है या पाया नहीं जा सकता है, या सबूत देने में असमर्थ है, या प्रतिकूल पक्ष द्वारा रास्ते से बाहर रखा जाता है, या यदि उसकी उपस्थिति देरी या खर्च की राशि के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती है, जो परिस्थितियों में

मामले में, न्यायालय अनुचित मानता हैः बशर्ते कि कार्यवाही हित में समान पक्षों या उनके प्रतिनिधियों के बीच थी; कि पहली कार्यवाही में प्रतिकूल पक्ष को पार-जांच करने का अधिकार और अवसर था; कि मुद्दे में प्रश्न काफी हद तक पहले में समान थे जैसे कि

दूसरी प्रक्रिया।

स्पष्टीकरण-एक आपराधिक विचारण या जांच को इस धारा के अर्थ के भीतर अभियोजक और अभियुक्त के बीच की कार्यवाही माना जाएगा। ". धारा 33 सामान्य नियम का एक अपवाद है जो आदेश देता है।

एक गवाह की प्रतिपरीक्षा के लिए सुविधा। लेकिन एक मामले में

मुख्य परीक्षा के पूरा होने के बाद गवाह और जबकि

जी उसे एक पर्याप्त और कठोर प्रतिपरीक्षा के लिए, नहीं किया

उद्देश्य से गवाह के बक्से में प्रवेश करना, यह अदालत का काम है कि वह सबूत का उचित उपयोग करे। जिन मुद्दों पर साक्ष्य का संपादन किया जाता है, उन्हें अदालत द्वारा इस रूप में माना जा सकता है और फिर आगे बढ़ाया जा सकता है।इस प्रकार, जिन मुद्दों के लिए प्रतिपरीक्षा समाप्त नहीं हुई है, वे होंगे राजेश यादव और ए. एन. आर. बनाम.

उत्तर प्रदेश का राज्य

[एम. एम. सुंदरेश, जे.]

पूरी परीक्षा को अस्वीकार्य बना दें। अंततः, यह न्यायालय पर निर्भर करता है कि वह उपरोक्त पहलू पर निर्णय करे।

अंतिम रिपोर्ट का प्रमाणिक मूल्यः

25. सी. आर. पी. सी. की धारा 173 (2) जांच अधिकारी को बुलाती है।

अदालत के समक्ष अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। यह एक रिपोर्ट होने के नाते और कुछ नहीं बल्कि एक सबूत है। यह उसके द्वारा एकत्र की गई सामग्री पर केवल जांच अधिकारी की राय है। वह अपराध पर ध्यान देता है और उसके बाद, अपराधी की पहचान करने के लिए एक जांच करता है, जिसकी सच्चाई का फैसला केवल अदालत ही कर सकती है। उपरोक्त निष्कर्ष इस स्थिति की ओर ले जाएगा कि जाँच अधिकारी का साक्ष्य अपरिहार्य नहीं है। अन्य भौतिक गवाहों की पुष्टि और विरोधाभास के लिए साक्ष्य की आवश्यकता होती है क्योंकि वह वही है जो उन्हें जोड़ता है और अदालत के समक्ष पेश करता है। यह मानते हुए भी कि जांच अधिकारी ने अदालत के समक्ष गवाही नहीं दी है या पर्याप्त सहयोग नहीं किया है, एक आरोपी केवल उसी आधार पर बरी होने का हकदार नहीं है, जब रिकॉर्ड पर अन्य आपत्तिजनक सबूत उपलब्ध हैं। लाहू कमलाकर पाटिल बनाम। महाराष्ट्र राज्य, (2013) 6 एस. सी. सी. 417, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 18. कानून की उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, पीडब्लू 1 की गवाही की सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने एफ. आई. आर. में अपने हस्ताक्षर को स्वीकार किया है लेकिन बहाना दिया है कि यह एक खाली कागज पर लिया गया था। यही बात जाँच अधिकारी द्वारा स्पष्ट की जा सकती थी, लेकिन किसी कारण से जाँच अधिकारी से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई है। यह एक स्वीकृत सिद्धांत है कि गैर-परीक्षा

जाँच अधिकारी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है। बिहारी प्रसाद बनाम। बिहार राज्य [(1996) 2 एससीसी 317: 1996 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 271], इस न्यायालय ने कहा है कि जाँच की गैर-जाँच

अधिकारी अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं है, विशेष रूप से,

जब कोई पूर्वाग्रह होने की संभावना नहीं है

अभियुक्त। बहादुर नाइक बनाम। की स्थिति

बिहार [(2000) 9 एससीसी 153: 2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1186], यह राय दी गई है कि जब कोई भौतिक विरोधाभास नहीं है बाहर लाया गया है, तो अभियोजन पक्ष के लिए एक गवाह के रूप में जांच अधिकारी की गैर-परीक्षा का कोई परिणाम नहीं है और ऐसी परिस्थितियों में,

अभियुक्त के प्रति कोई पक्षपात नहीं किया जाता है।

यह योग्य

है [2022] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह ध्यान देने योग्य है कि न तो विचारण न्यायाधीश और न ही उच्च न्यायालय ने जाँच अधिकारी से पूछताछ न करने के मुद्दे पर गौर किया है। समग्र रूप से देखने पर

अभिलेख पर लाई गई सामग्री, हम पाते हैं कि कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वर्तमान मामला वह है जहाँ हम ऐसा सोचने के लिए इच्छुक हैं, विशेष रूप से जब सूचना देने वाले ने कहा है कि हस्ताक्षर किए गए थे

संहिता की धारा 161 के तहत अभिलिखित। इस प्रकार, यह न्यायालय अरविंद सिंह बनाम. बिहार राज्य, [(2001) 6 एससीसी 407: 2001 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1148], रतनलाल बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य [(2007) 13 एस. सी. सी. 18: (2009) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 349] और रविश्वर मांझी बनाम। की स्थिति झारखंड [(2008) 16 एससीसी 561: (2010) 4 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 50] ने कुछ परिस्थितियों की व्याख्या की है जहाँ

जाँच अधिकारी की जाँच महत्वपूर्ण हो जाती है। हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि वर्तमान मामला वह है जिसमें जांच अधिकारी से पूछताछ की जानी चाहिए थी और उसकी गैर-जांच एक कमी पैदा करती है।

अभियोजन पक्ष के मामले में "।

मौका गवाहः

26. एक मौका गवाह वह है जो उस स्थान पर होता है

संयोग से अपराध की घटना, और इसलिए, निश्चित रूप से नहीं। दूसरे शब्दों में, उनसे उक्त स्थान पर होने की अपेक्षा नहीं की जाती है। सड़क पर चलने वाला व्यक्ति अपराध का गवाह बन सकता है।

एक मौका गवाह बनें। केवल इसलिए कि एक गवाह संयोग से एक घटना को देखता है, उसकी गवाही को टाला नहीं जा सकता है, हालांकि कभी-कभी थोड़ी और जांच की आवश्यकता हो सकती है। यह फिर से एक ऐसा पहलू है जिस पर अदालत द्वारा किसी दिए गए मामले में गौर किया जाना है। हम कानून की उपरोक्त स्थिति को दोहराना नहीं चाहते हैं जो इसके द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है।

ए. पी. बनाम राज्य में न्यायालय के. श्रीनिवासुलु रेड्डी, (2003) 12 एससीसी 660:

" 12. पीडब्लू 4 और 9 के साक्ष्य के खिलाफ आलोचना की गई थी जो स्वतंत्र गवाह हैं और उन्हें संयोग गवाह के रूप में लेबल किया गया था। पीडब्लू 4 और 9 के मौका गवाह होने की आलोचना भी बिना किसी आधार के है। उन्होंने एस. एच. यादव और ए. एन. आर. वी. को स्पष्ट रूप से समझाया है।

उत्तर प्रदेश का राज्य

[एम. एम. सुंदरेश, जे.]

वे उस स्थान पर कैसे थे

घटना और विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय

उसी को स्वीकार किया है।

13. अभियुक्त की याचिका पर आते हुए कि पीडब्लू 4

और 9 "संयोग गवाह" थे जिनके पास नहीं है उन्होंने बताया कि वे कथित रूप से कैसे थे

घटना का स्थान, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त

गवाह स्वतंत्र गवाह थे। वहाँ था। गवाहों को एक सुझाव भी नहीं दिया कि उनके पास था

किसी भी अभियुक्त के प्रति कोई शत्रुता। ए में

गवाहों को पूर्व सूचना के साथ; उनका अनुरोध करना उपस्थिति। अगर हत्या किसी घर में की जाती है

घर के निवासी प्राकृतिक गवाह होते हैं। यदि सड़क पर हत्या की जाती है, तो केवल राहगीरों द्वारा गवाह होंगे। उनके सबूतों को दबाया नहीं जा सकता।

एक तरफ या इस आधार पर संदेह के साथ देखा जाता है कि

वे केवल "संयोग गवाह" हैं। "मौका गवाह" अभिव्यक्ति उन देशों से ली गई है जहाँ

हर आदमी का घर उसका महल माना जाता है और

हर किसी के पास कहीं और या किसी अन्य व्यक्ति के महल में अपनी उपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण होना चाहिए। यह काफी है एक ऐसे देश में अनुपयुक्त अभिव्यक्ति जहाँ लोग

कम औपचारिक और अधिक अनौपचारिक हैं, किसी भी मामले में उनकी उपस्थिति की व्याख्या करते हैं।

इस अदालत ने जरनैल सिंह बनाम में शिष्य को दोहराया था। (2009) 9 एससीसी 719:

“ 21. सचचे लाल तिवारी बनाम। की स्थिति

यू. पी. [(2004) 11 एस. सी. सी. 410: 2004 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) सप्लीमेंट 105] इस न्यायालय ने साक्ष्य मूल्य पर विचार करते हुए

हत्या के एक मामले में मौका गवाह जो था एक सड़क पर हुआ था और एक राहगीर ने पदच्युत कर दिया था

कि उसने घटना को देखा था, के रूप में देखा गया

इसके अंतर्गतः

आई. ई. अदालत की रिपोर्ट

यदि अपराध सड़क पर किया जाता है तो केवल एक राहगीर गवाह होगा। उसका सबूत

इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है या इस आधार पर संदेह के साथ नहीं देखा जा सकता है कि वह केवल एक संयोग गवाह था। हालाँकि, वहाँ उनकी उपस्थिति के लिए एक स्पष्टीकरण होना चाहिए।

" मौका गवाह "उन देशों से उधार लिया जाता है जहाँ हर आदमी के घर को उसका महल माना जाता है और हर किसी के पास कहीं और या किसी अन्य व्यक्ति के महल में अपनी उपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण होना चाहिए। यह काफी है

संदिग्ध अवशेषों को त्याग दिया जाना चाहिए (शंकरलाल बनाम। राजस्थान राज्य [(2004) 10 एससीसी 632: 2005 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 579)। 23. मौका गवाह का आचरण, इसके बाद

इस घटना को विशेष रूप से ध्यान में रखा जा सकता है कि क्या उसने गाँव में किसी और को घटना के बारे में सूचित किया है। (थंगैया वी. टी. एन. राज्य [(2005) 9 एस. सी. सी. 650: 2005 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1284)। गुरचरण सिंह (पीडब्लू 18) ने पहले सूचना देने वाले दर्शन सिंह (पीडब्लू 4) से मुलाकात की थी।

गुरचरण सिंह (पीडब्लू 18) और दर्शन राजेश यादव और ए. एन. आर. बनाम ने प्राथमिकी दर्ज करने और साजिश के तथ्य का खुलासा नहीं किया।

उत्तर प्रदेश का राज्य

[एम. एम. सुंदरेश, जे.]

सिंह (पीडब्लू 4)। एफ. आई. आर. में साजिश के तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। हाकम सिंह, दूसरा

अभियोजन पक्ष द्वारा इस मुद्दे पर गवाह से पूछताछ नहीं की गई है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय को साजिश से संबंधित अभियोजन पक्ष के मामले के हिस्से को खारिज करने में उचित ठहराया गया। तथापि, वर्तमान मामले की वास्तविक स्थिति में, जहां तक वर्तमान अपील का संबंध है, उक्त दो सह-अभियुक्तों के बरी होने का कोई प्रभाव नहीं है।

चिंतित हैं। "

संबंधित और इच्छुक साक्षीः

28. संबंधित गवाह को इच्छुक नहीं कहा जा सकता है।

स्वयं के लिए। घटना के स्थान को अन्य परिस्थितियों के साथ देखना पड़ता है। एक संबंधित गवाह भी एक स्वाभाविक गवाह हो सकता है। यदि मृतक की सीमा के भीतर कोई अपराध किया जाता है, तो उपस्थिति

उसके परिवार के सदस्यों की संख्या से इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे स्वाभाविक गवाहों का पद ग्रहण करते हैं। जब उनके साक्ष्य स्पष्ट, ठोस होते हैं और प्रतिपरीक्षा की कठोरता का सामना करते हैं, तो यह उत्कृष्ट हो जाता है, और आगे पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। एक संबंधित गवाह एक इच्छुक गवाह तभी बन सकता है जब वह उद्देश्यपूर्ण रूप से दोषी ठहराने में आरोपी को फंसाने की इच्छा रखता है।

29. जब न्यायालय साक्ष्य की गुणवत्ता से आश्वस्त हो जाता है

ऊपर उल्लिखित वर्गीकरण के बावजूद, यह सबसे अच्छा प्रमाण बन जाता है। इस तरह की गवाही स्वाभाविक होने के कारण, संभावना की डिग्री को जोड़ते हुए, अदालत को एक तथ्य साबित करने में उस पर भरोसा करना पड़ता है। कानून की उपरोक्त स्थिति भास्कर्राव बनाम में अच्छी तरह से निर्धारित की गई है। महाराष्ट्र राज्य (2018) 6 एस. सी. सी. 591:

" 32. हाथ में मौजूद साक्ष्य की सराहना पर वापस आते हुए, शुरुआत में, हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि गवाह आपस में जुड़े हुए थे, और यह

न्यायालय को उन्हें स्वीकार करने में सावधानी बरतनी चाहिए।

बयान। साक्ष्य के मूल्यांकन से संबंधित कानून का पुनर्कथन करना फायदेमंद होगा

1954 एससीआर 145: आकाशवाणी 1953 एससी 364: 1953 न्यायपीठ के लिए सी. आर. आई. एल. जे. 1465], विवियन बोस, जे. ने कानून का अवलोकन इस प्रकार किया इसके अंतर्गतः (एयर पी। 366, पैरा 26)

अदालत की रिपोर्ट

" 26. एक गवाह को आम तौर पर स्वतंत्र माना जाता है जब तक कि वह उन स्रोतों से नहीं निकलता है जिनके दूषित होने की संभावना है और

आमतौर पर इसका मतलब तब तक होता है जब तक कि गवाह के पास आरोपी के खिलाफ दुश्मनी जैसी वजह न हो कि वह उसे गलत तरीके से फंसाना चाहता है। आम तौर पर, एक करीबी रिश्तेदार वास्तविक अपराधी की जांच करने और एक निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाने वाला अंतिम व्यक्ति होगा। यह सच है, जब भावनाएँ बढ़ जाती हैं और शत्रुता के लिए व्यक्तिगत कारण होता है, तो एक निर्दोष व्यक्ति को घसीटने की प्रवृत्ति होती है, जिसके खिलाफ एक गवाह को दोषी के साथ-साथ दुर्भावना होती है, लेकिन इस तरह की आलोचना के लिए नींव रखी जानी चाहिए और केवल रिश्ते का तथ्य एक नींव होने से दूर अक्सर सच्चाई की एक निश्चित गारंटी होती है। हालांकि, हम कोई सफाई करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं।

सामान्यीकरण। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। हमारी टिप्पणियाँ केवल उन बातों का मुकाबला करने के लिए की जाती हैं जिन्हें अक्सर विवेक के सामान्य नियम के रूप में हमारे सामने रखा जाता है। ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है। प्रत्येक मामला अपने स्वयं के तथ्यों तक सीमित और नियंत्रित होना चाहिए।

मसालती वी। उत्तर प्रदेश राज्य (1964) 8 एस. सी. आर. 133: आर 1965 एससी 202: (1965) 1 सी. आर. आई. एल. जे. 226], इस न्यायालय की पाँच जी. ई. पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा है

इसके अंतर्गतः (एयर पीपी। 209-210 , पैरा 14)

" 14. ..... इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब

आपराधिक अदालत को सबूतों की सराहना करनी होगी गवाहों द्वारा दिया गया जो पक्षपाती हैं या

इस तरह के सबूतों का वजन करना। साक्ष्य में विसंगतियाँ हैं या नहीं; या सबूत अदालत पर हमला नहीं करता है

वास्तविक; साक्ष्य द्वारा प्रकट की गई कहानी संभावित है या नहीं, ये सभी ऐसे मामले हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। लेकिन यह

हम समझते हैं कि एस. एच. यादव और ए. एन. आर. बनाम का विरोध करना अनुचित होगा।

उत्तर प्रदेश का राज्य

[एम. एम. सुंदरेश, जे.]

कि गवाहों द्वारा दिया गया सबूत होना चाहिए

केवल इस आधार पर फेंका जाता है कि यह

पक्षपाती या इच्छुक गवाहों का साक्ष्य।

अक्सर पर्याप्त, जहाँ गुट प्रबल होते हैं ऐसे गुटों के बीच दुश्मनी के परिणामस्वरूप गाँव और हत्याएँ की जाती हैं,

आपराधिक अदालतों को पक्षपातपूर्ण प्रकार के साक्ष्य से निपटना पड़ता है। एकमात्र आधार पर इस तरह के साक्ष्य की यांत्रिक अस्वीकृति कि यह पक्षपातपूर्ण है, हमेशा न्याय की विफलता का कारण बनेगी। कितना सबूत होना चाहिए, इसके बारे में कोई कठोर और त्वरित नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

सराहना की। न्यायिक दृष्टिकोण होना चाहिए

ऐसे साक्ष्य से निपटने में सावधानी बरतें; लेकिन यह दलील कि ऐसे साक्ष्य को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह पक्षपातपूर्ण है इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है

सही "।

34. दरिया सिंह बनाम। पंजाब राज्य [(1964) 3 एससीआर 397: ए. आई. आर 1965 एस. सी. 328: (1965) 1 सी. आर. आई. एल. जे. 350] इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक चश्मदीद गवाह जो पीड़ित का निकट संबंधी है, का साक्ष्य बारीकी से होना चाहिए।

जाँच की गई लेकिन कोई पुष्टि आवश्यक नहीं है

उसके साक्ष्य की स्वीकृति। हरबंस कौर बनाम।

हरियाणा राज्य [(2005) 9 एस. सी. सी. 195 2005 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 1213: 2005 सी. आर. आई. एल. जे. 2199], इस न्यायालय ने टिप्पणी की वहः (एस. सी. सी पी. 227, पैरा 6)

" 6. कानून में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि रिश्तेदारों को झूठा गवाह माना जाए। इसके विपरीत, जब पक्षपात की याचिका उठाई जाती है तो यह दिखाने के लिए कारण दिखाना पड़ता है कि

गवाहों के पास वास्तविक अपराधी को बचाने और आरोपी को गलत तरीके से फंसाने का कारण था।

35. अंतिम मामला जिसे हमें खुद को चिंतित करने की आवश्यकता है वह है नामदेव बनाम। महाराष्ट्र राज्य [(2007) 14 एस. सी. सी. 150 (2009) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 773], जिसमें इस न्यायालय ने पिछले उदाहरणों को देखने के बाद निम्नलिखित तरीके से कानून का सारांश दिया हैः : (एस. सी. सी पी. 164 , पैरा

38)

आई. ई. अदालत की रिपोर्ट

" 38 ..... यह स्पष्ट है कि एक करीबी रिश्तेदार को "इच्छुक" गवाह के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। वह एक "स्वाभाविक" गवाह है। हालाँकि, उसके साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहिए। यदि इस तरह की जांच पर, उसके साक्ष्य को आंतरिक रूप से विश्वसनीय, स्वाभाविक रूप से संभावित और पूरी तरह से भरोसेमंद पाया जाता है, तो दोषसिद्धि "एकमात्र" गवाही पर आधारित हो सकती है।

इस तरह के गवाह। मृतक या पीड़ित के साथ गवाह का घनिष्ठ संबंध उसके साक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। इसके विपरीत, मृतक का करीबी रिश्तेदार आम तौर पर वास्तविक अपराधी को छोड़ने के लिए सबसे अधिक अनिच्छुक होता है और गलत तरीके से दोषी को फंसाता है।

निर्दोष "।

36. इस न्यायालय के उपरोक्त उदाहरणों के अध्ययन से, हम ध्यान दे सकते हैं कि जो कोई भी न्यायालय के समक्ष गवाह रहा है, उसके पास एक मजबूत

परिणाम में ब्याज, यदि उन लोगों के साथ समान पैमाने पर तौलने की अनुमति दी जाती है जिनकी परिणाम में कोई रुचि नहीं है, तो विकृत सत्य के लिए अदालत के दरवाजे खोलना होगा। यह ठोस नियम जो इस प्रणाली का गढ़ बना हुआ है, और जो ऐसे स्रोतों से प्राप्त साक्ष्य का मूल्य निर्धारित करता है,

सावधानीपूर्वक और सावधानीपूर्वक निरीक्षण और लागू करने की आवश्यकता है। इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि गवाह का हित उसकी गवाही को प्रभावित करना चाहिए

सार्वभौमिक सत्य। इसके अलावा, पक्षपात के प्रभाव में, एक आदमी सही तरीके से निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हो सकता है, भले ही वे ईमानदारी से ऐसा करने की इच्छा रखते हों। इसी तरह, वह निष्पक्ष तरीके से साक्ष्य प्रदान करने की स्थिति में नहीं हो सकता है, जब इसमें उसका हित शामिल हो। के तहत

इस तरह के प्रभाव, मनुष्य करेगा, भले ही नहीं

सचेत रूप से, कुछ तथ्यों को दबा दें, दूसरों को नरम या संशोधित करें, और अनुकूल रंग प्रदान करें। मानवीय गवाही की विश्वसनीयता के संबंध में ये सबसे अधिक नियंत्रित करने वाले विचार हैं, और साक्ष्य के नियमों को लागू करने और तथ्यों और तथ्यों के तहत सत्य के पैमाने में इसका महत्व निर्धारित करने में कभी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ। राजेश यादव और ए. एन. आर. बनाम

उत्तर प्रदेश का राज्य

[एम. एम. सुंदरेश, जे.]

30. एक बार फिर हम सावधानी के एक शब्द के साथ दोहराते हैं, मुकदमा

न्यायालय उपरोक्त पहलू पर निर्णय लेने के लिए सबसे अच्छा न्यायालय है क्योंकि गवाह के मूल्यांकन पर कोई गणितीय गणना या सीधा सूत्र नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि सत्य की ओर यात्रा को विचारण न्यायाधीश की आंखों के माध्यम से बेहतर देखा जा सकता है। वास्तव में, यह अधिनियम के पीछे का वास्तविक उद्देश्य है जो अदालत को अधिकतम विवेकाधिकार प्रदान करता है।

गवाह की गैर-जाँचः

31. गवाह की केवल गैर-जांच अभियोजन पक्ष के मामले को दूषित नहीं करेगी। यह गुणवत्ता पर निर्भर करता है न कि

गवाहों की संख्या और उनका महत्व। यदि अदालत अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के साथ-साथ मुकदमे को आगे बढ़ाने और आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सामग्री से संतुष्ट है, तो कोई पूर्वाग्रह नहीं हो सकता है। इसी तरह, यदि न्यायालय का विचार है कि साक्ष्य की जांच नहीं की गई है और इसे अच्छी तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है

इसके मामले के समर्थन में दूसरा पक्ष, कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। उस पक्ष की ओर से जिम्मेदारी है जो आरोप लगाता है कि गवाह को इसे साबित करने के लिए जानबूझकर पेश नहीं किया गया है। कानून का उपरोक्त स्थापित सिद्धांत सरवन सिंह बनाम में निर्धारित किया गया है। पंजाब राज्य, (1976) 4

एससीसी 369:

" 13. एक अन्य परिस्थिति जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के लिए भारी प्रतीत होती है, वह यह थी कि अभियोजन पक्ष द्वारा सलाबतपुरा के किसी भी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई थी ताकि यह साबित किया जा सके कि

मृतक पर हमले का अभियोजन मामला, हालांकि सबूतों से पता चलता है कि उस इलाके में कुछ लोग रहते थे जैसे 'पकोडेवाला', होटलवाला, दुकानदार और कुछ यात्री जो मृतक के साथ सलाबतपुरा में उतरे थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उन गवाहों में से किसी से भी पूछताछ करने में विफलता के लिए अभियोजन पक्ष के खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला है। श्री हार्डी ने इस तर्क को अपनाया है। हमारी राय में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की टिप्पणियां इस पर आधारित हैं - सही कानूनी स्थिति की गंभीर गलत धारणा। अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से अभियोजन पक्ष पर निर्भर करती है और यह एक तार्किक परिणाम है कि यदि अभियोजन पक्ष को अपना मामला साबित करना है तो उसे अपने गवाह चुनने की पूरी स्वतंत्रता है।

आई. ई. अदालत की रिपोर्ट

अदालत अभियोजन पक्ष को अपने गवाह के रूप में एक या दूसरे गवाह से पूछताछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। अधिक से अधिक, यदि किसी भौतिक गवाह को रोक दिया जाता है, तो अदालत अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकती है। लेकिन यह कानून नहीं है कि मामूली बिंदुओं पर भी किसी भी और प्रत्येक गवाह से पूछताछ करने में चूक होगी।

निस्संदेह अभियोजन पक्ष के मामले की अस्वीकृति या इसके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने का कारण बनता है

अभियोजन पक्ष केवल ऐसे गवाहों को पेश करने के लिए बाध्य है जो अभियोजन पक्ष की कहानी को उजागर करने के लिए आवश्यक हैं। दूसरे शब्दों में, अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने से पहले अदालत के संतोष के लिए यह साबित किया जाना चाहिए कि जिन गवाहों को रोक दिया गया था, वे थे प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने वास्तव में घटना को देखा था और इसलिए मामले को साबित करने के लिए सामग्री थे। अभियोजन पक्ष के लिए कई गुना बढ़ना आवश्यक नहीं है

एक ही बिंदु पर गवाहों के बाद गवाह; यह है

और भीड़ के कुछ सदस्यों ने वास्तव में घटना को देखा था और उन्हें अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में उद्धृत किया गया था और फिर रोक दिया गया था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में अदालतों की बोझिल और विलंबित प्रक्रिया के कारण अदालतों में गवाही देने से बचने की एक सामान्य प्रवृत्ति है। जिसे वे पुलिस और तलाशी प्रतिपरीक्षा के अधीन करते हैं जिसका उन्हें अदालतों के समक्ष सामना करना पड़ता है। इसलिए कोई भी हत्या या किसी गंभीर अपराध में गवाह नहीं बनना चाहता है यदि वह इससे बच सकता है। हालाँकि सबूतों से पता चलता है कि चार या पाँच व्यक्ति उस समय बस से उतरे थे जब मृतक और उसके साथियों को एसएच यादव और एएनआर वी मिला था।

उत्तर प्रदेश का राज्य

[एम. एम. सुंदरेश, जे.]

बस से नीचे, फिर भी कोई सुझाव नहीं है कि उन लोगों में से कोई भी गवाह के रूप में रहा

घटना। हो सकता है कि वे आगे बढ़ गए हों

गाँव के घर। '

(जोर दिया गया)

यू. आर. टी. ने गुलाम एफ बिहार, (2014) 3 एस. सी. सी. 401 में उपरोक्त सिद्धांत को दोहरायाः

" 19. साक्ष्य की सराहना के मामले में

गवाह, यह गवाहों की संख्या नहीं है, बल्कि उनके साक्ष्य की गुणवत्ता है जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई नहीं है साक्ष्य के कानून के तहत आवश्यकता है कि कोई भी

किसी तथ्य को साबित/गलत साबित करें। यह एक समय-सम्मानित सिद्धांत है कि साक्ष्य को तौला जाना चाहिए और गिना नहीं जाना चाहिए। द. परीक्षण यह है कि क्या साक्ष्य में सच्चाई का घेरा है,

कानूनी प्रणाली ने प्रदान किए गए मूल्य पर जोर दिया है बहुलता या बहुलता के बजाय प्रत्येक गवाह

गवाहों से। यह मात्रा नहीं बल्कि गुणवत्ता है, जो

साक्ष्य की पर्याप्तता निर्धारित करता है जैसा कि किया गया है

साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 द्वारा प्रदान किया गया। यहाँ तक कि

प्रोबेट मामलों में, जहां कानून की आवश्यकता होती है

कम से कम एक प्रमाणित करने वाले गवाह की जाँच, यह है

यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिक गवाहों को पेश करने से

कोई वजन न उठाएँ। इस प्रकार, विश्वास भी हो सकता है

एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी की गवाही के आधार पर, यदि

वही आत्मविश्वास को प्रेरित करता है। (वीडियो वादिवेलु

थेवर वी. मद्रास राज्य [ए. आई. आर 1957 एस. सी. 614: 1957 क्रि एल. जे. 1000], कुंजु बनाम। टी. एन. राज्य [(2008) 2 एस. सी. सी.

151 : (2008) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 331], बिपिन कुमार

मंडल वी. डब्ल्यू. बी. राज्य [(2010) 12 एस. सी. सी. 91: (2011)

2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 150 ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 3638]

महेश वी. एम. पी. राज्य [(2011) 9 एस. सी. सी. 626: (2011)

3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 783], पृथ्वीपाल सिंह बनाम। की स्थिति

पंजाब [(2012) 1 एससीसी 10: (2012) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1] और किशन चंद बनाम। हरियाणा राज्य (2013) 2

एससीसी 502: (2013) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 807: जे. टी. (2013) 1 एससी

222] .)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तथ्यों परः 33. अभियोजन पक्ष द्वारा तीन चश्मदीद गवाहों से पूछताछ की जाती है।

हम पाते हैं कि पीडब्लू-1 और 2 ने खुद के चश्मदीद गवाह होने के बीच विरोधाभास नहीं किया है। केवल इसलिए कि वे संबंधित गवाह हैं, यह मानने के लिए किसी भी सामग्री के अभाव में कि वे रुचि रखते हैं, उनकी गवाही को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। एफ. आई. आर. दर्ज करने में भी कोई देरी नहीं हुई है। पीडब्लू-3 हालांकि शत्रुतापूर्ण हो गया, अपने प्रमुख में घटना के बारे में बात की

34. उच्च न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत आरोप के लिए निचली अदालत द्वारा दी गई दोषसिद्धि को सही ढंग से खारिज कर दिया है। पीडब्लू-1 और 2 घायल गवाह ओम प्रकाश की उपस्थिति के बारे में बात नहीं की है। जिन परिस्थितियों में उन्हें पेश नहीं किया जा सका, उन्हें समझाया गया।

अभियोजन पक्ष द्वारा। केवल इसलिए कि उसे पेश नहीं किया गया था, अभियोजन पक्ष का पूरा मामला झूठा नहीं होगा।

35. एफएसएल रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखा गया था। दोनों अदालतों ने उक्त रिपोर्ट पर विचार किया है और उस पर भरोसा किया है। सारी परिस्थितियाँ

जिसके तहत गोला-बारूद सहित सामग्री एकत्र की गई थी

बरामदियों के साथ जो विशेषज्ञ को भेजे गए थे, आधिकारिक गवाहों द्वारा समझाया गया है। हम गवाही में कुछ भी अप्राकृतिक नहीं पाते हैं। 36. उपलब्ध साक्ष्यों को देखने पर हम बरामद हथियारों को विशेषज्ञ को भेजने या एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त करने में कोई देरी नहीं पाते हैं। जिन परिस्थितियों में उन्हें भेजा गया और प्राप्त किया गया, उनके बारे में बात की गई और समझाया गया। अपीलकर्ताओं ने न तो कथित देरी के कारण कोई पूर्वाग्रह दिखाया है और न ही उक्त रिपोर्ट के निष्कर्षों पर विवाद किया है।

37. अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील ने कहा कि जांच अधिकारी से आगे जिरह नहीं की जा सकती है। चोटों और पुनर्प्राप्ति का सम्मान करें। हम पाते हैं कि सबूत था

क्रॉस-एग्जामिनेशन के साथ उस हद तक भी जाने दें। उच्च न्यायालय ने इस पहलू पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार किया है। यह बहुत है।

दुर्भाग्यपूर्ण है कि जांच अधिकारी को सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद पेश नहीं किया जा सका। इसका कारण स्पष्ट है। तीन जाँचकर्ता राजेश यादव और ए. एन. आर. बनाम हैं।

उत्तर प्रदेश का राज्य

[एम. एम. सुंदरेश, जे.]

अधिकारी। अन्य दो जांच अधिकारियों से पूछताछ की गई है।

शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप सहित। प्रथम जाँच अधिकारी, पीडब्लू-13 से प्रतिपरीक्षा के दौरान गहन जाँच की गई है। केवल आगे की जाँच के लिए वह कछुआ बन गया। यह अपने आप में अभियोजन पक्ष के पूरे मामले को खराब नहीं बनाएगा, यह कानून विशेष रूप से तब है जब अंतिम रिपोर्ट को स्वयं सबूत का एक ठोस टुकड़ा नहीं कहा जा सकता है, जो जांच अधिकारी की सामूहिक राय के अलावा और कुछ नहीं है। निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सबूतों पर विचार किया। इसी तरह, यह तर्क कि घटना स्थल से बरामद किए गए कुछ अन्य खाली कार्ट्रिज के अस्तित्व के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है, दोषियों को बरी करने में मदद नहीं करेगा।

अपीलार्थी क्योंकि उनके खिलाफ अपराध को फंसाने और साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री है।

38. इस प्रकार, उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने पर, हम उच्च न्यायालय के योग्य निर्णय के अनुरूप हैं। याचिकाएं खारिज की जाती हैं। 39. इस मामले से अलग होने से पहले, हम न्याय की खोज को पटरी से उतारने के जानबूझकर किए गए प्रयास पर अपनी पीड़ा दर्ज करने के लिए विवश हैं। दिन-ब-दिन हम ऐसी दयनीय स्थिति देख रहे हैं जिसमें

कविता या कारण, एक टोपी की बूंद पर। मुख्य परीक्षा के पूरा होने के बाद लंबे समय तक स्थगन दिए जा रहे हैं, जो केवल समय के साथ बचाव पक्ष को उन्हें जीतने में मदद करता है। इस प्रकार हम यह दोहराना उचित समझते हैं कि निचली अदालतें मुख्य और पार दोनों निजी गवाहों की परीक्षा को यथासंभव उसी दिन पूरा करने का प्रयास करेंगी। इस खतरे को और कम करने के लिए, हम उम्मीद करेंगे कि निचली अदालतें आधिकारिक गवाहों के साथ आगे बढ़ने से पहले निजी गवाहों से पूछताछ करेंगी। इस निर्णय की एक प्रति सभी निचली अदालतों को वितरित की जाएगी, जिसे संबंधित उच्च न्यायालयों के माध्यम से सुगम बनाया जाएगा।

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

निधि जैन और अनुराग भास्कर (सहायकः वृंदा सिंह, एलसीआरए)